कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

आदेश

5 नि॰/अंके॰ पदा॰ स्था॰ – 02/12

वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 10770 दिनांक 31.12.81 तथा 660 दिनांक 08.02.99 के आलोक में दिनांक 01.04.1981 से 31.12.95 के बीच 10 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने वाले निम्नांकित वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी को कालबद्ध प्रोन्नति योजना के तहत् प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति के संबंध में विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक 11.02.2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कंडिका–1(i) द्वारा की गई अनुशंसा के अनुसार उनके नाम के समक्ष अंकित तिथि के प्रभाव से अंकित वेतनमान् में प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने की स्वीकृति दी जाती है –

क्र॰ स॰	नाम	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि एवं वेतनमान्	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	स्व॰ सूर्य नारायण भरवे, सेवानिवृत्त वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी (सेवानिवृत्त दिनांक 31.01.1997)	02.01.1939	23.11.1981	23.11.1991 1800–3300/–	दिनांक 01.04.85 से सेवा सम्पुष्ट करते हुए।

2॰ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान वेतन निर्धारण के पूर्व उपरोक्त सम्बन्धित कर्मी की मूल सेवा पुस्तिका की पुनः जाँच करके संतुष्ट हो लेंगे कि उनकी सेवा सम्पुष्ट है तथा प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की तिथि को उपरोक्त वर्णित वांछित अवधि की नियमित एवं लगातार सेवा पूर्ण कर लिए हैं। वेतन निर्धारण के पश्चात् स्वीकृत की गई उक्त प्रथम कालबद्ध प्रोन्नति की सम्पुष्टि का प्रस्ताव सेवापुस्त के साथ सम्बन्धित कार्यालय प्रधान द्वारा मुख्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा सम्पुष्टि उपरान्त ही आर्थिक लाभ के भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

3॰ यह प्रोन्नति पुर्णतः औपबंधिक है। जाँच के क्रम में अथवा प्रशासी विभाग द्वारा सम्पुष्टि के क्रम में कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर इन्हें दी गयी प्रोन्नति रद्द/संशोधित की जा सकती है एवं इस मद में भुगतान की गयी राशि लाभार्थी से वसूल कर ली जाएगी।

4॰ उपरोक्त आदेश में निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

13/04/2016

(अखिलेश कुमार)
जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3026 /पटना, दिनांक 13.4.16
5 नि॰/अंके॰ पदा॰ स्था॰ – 02/12

प्रतिलिपि :– 1. महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सम्बन्धित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, मुंगेर/संबंधित संयुक्त निबधंक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. सम्बन्धित कर्मी के लाभार्थी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/04/2016

जन सम्पर्क पदाधिकारी,
सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।